

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली

खमारी थापला जलालगौव देचौरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

### मानक शर्तें

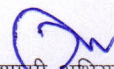
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक पारिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

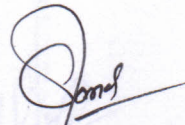
84 55

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु  
आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली  
खमारी थापला जलालगोव दचारी माटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले  
व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

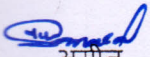
  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

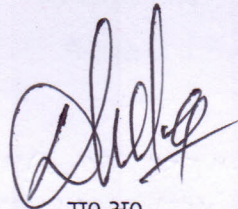
## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

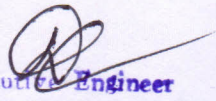
परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी-थापला-जलालगाव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

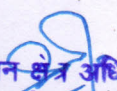
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है

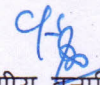
  
अमीन

  
जू० ई०

  
स० अ०

  
Executive Engineer  
Provincial Division, P.W.D.  
310 310  
NAINITAL

  
रेंज ऑफिसर  
मटियाली रेंज  
मू० स० वन प्रभाग  
लैन्सडौन

  
प्रभागीय वनाधिकारी

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सू० वन प्रभाग  
लैन्सडौन

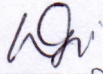
(91)

56

## मार्ग निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग न किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजनान्तर्गत मंगोली-खमारी-थापला-जलालगॉव से चोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

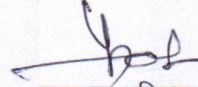
प्रमाणित किया जाता है, कि मार्ग के निर्माण में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया।



अपर सहायक अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०

नैनीताल



सहायक अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०

नैनीताल



अधिशाली अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०

नैनीताल

अपर सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०लो०नि०वि०  
नैनीताल

सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०लो०नि०वि०  
नैनीताल

अधिशाली अभियन्ता  
प्रा०ख०लो०नि०वि०  
नैनीताल

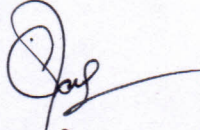
(92) (5)

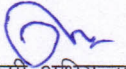
## परियोजना कार्य स्थल पर रसोई के प्रयोग हेतु प्रमाण – पत्र

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| परियोजना का नाम :- | राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगौव से देचोरी मोटर मार्ग का नव निर्माण। |
|                    |                                                                                        |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु कार्य स्थल पर कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा भोजन बनाने हेतु रसोई गैस की व्यवस्था की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा०ख०,लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०,लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख०,लो०नि०वि०  
नैनीताल

## परियोजना कार्य स्थल पर रसोई के प्रयोग हेतु प्रमाण – पत्र

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| परियोजना का नाम :- | राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगाँव से देचोरी मोटर मार्ग का नव निर्माण। |
|                    |                                                                                         |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु कार्य स्थल पर कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा भोजन बनाने हेतु रसोई गैस की व्यवस्था की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल



सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल



अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

(93)

(58)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी-धापला जलालगंज से कैवरी मोटर मार्ग का निर्माण।

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग का नव निर्माण कार्य किया गया है।



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल



अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल